145/22 लोक अदालत बैंच के समक्ष आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा० शिकायत लगवाने वाले द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र वास्तविकता होना की रिपोर्ट एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प (1) राज-6/2002/19 जयपुर दिनांक 18.6.2007 के आधार पर प्रकरण लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम की जगह हरूराम दर्ज करने हेतु आदेश पृथक से लिखाया जावेगा संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद प्रविष्ठ भिजवा जावे।

14.5.22

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:10 IST
Reason: SelfAttested

राष्ट्रीय लोक अदालत

अवार्ड (पंचाट)

मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थी: मोहनलाल पुत्र स्व0 हट्टूराम जाति बैरवा निवासी होलीपाडा ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण:
1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दौसा।
2. उप तहसीलदार भाण्डारेज।

प्रकरण संख्या: 6/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

निर्णय दिनांक : 14.05.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 –राजस्व अधि0–1956 बाबत नाम दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा आराजी ख0 नं0 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 8153, 8163, 171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8402, 8403, 8411, 8412, 8413, 8414, 415 कुल किता 28 रकबा 4.70 है0 स्थित है, जिसमें प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदार काश्त पैदावार कर भान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रार्थी के पिता का राजस्व रिकार्ड में हट्टूराम के बजाय हटीला नाम शुद्ध एवं गलत अंकन कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम हट्टूराम है। प्रार्थी पिता के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में नाम ही ट्टूराम दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हट्टूराम दर्ज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रार्थी के पिता का म यदि प्रार्थी सिद्ध करता है तो सम्मानजनक नाम हट्टूराम किया जाने योग्य है। उक्त खसरा नम्बरों प्रार्थी के पिता का नाम हटीला पुत्र शोभा हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक दालत में चिन्हित कर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने ा का नाम शुद्ध करवाना चाहता है। सह–खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र रामधन बैरवा एवं लक्ष्मण पुत्र जीराम बैरवा ने अलग–अलग शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि हटीला उर्फ हट्टूराम एक नाम है। हटीला का वास्तविक व शुद्ध नाम हट्टूराम है तथा इसके पिता शोभा उर्फ भोमाराम एक ही है। शोभा का वास्तविक व शुद्ध नाम भोमाराम है, जो हमारे सह–खातेदार व भाईबंधु है। प्रार्थी नलाल अपने पिता व दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं तहसीलदार दौसा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता का नाम यदि प्रार्थी सिद्ध करता है तो ानजनक नाम हट्टूराम किया जाने योग्य बताया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः 4(1) –6/2002/19 जयपुर, दिनांक 18.06.2007 द्वारा राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम ानसूचक न होने की स्थिति में संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् अभिलेख में नाम संबंधी त्रुटियों की स्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सह–खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, तहसीलदार दौसा रिपोर्ट एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः 4(1) राज–6/2002/19 जयपुर, दिनांक 6.2007 के आधार पर प्रकरण लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि उक्त रा नम्बरों से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का न[illegible] की जगह हट्टूराम दर्ज किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:10 IST
Reason: SelfAttested

(स्नेहा जाखड)
(प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
(अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) दौसा)
राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

(संजय कुमार गोरा)
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा)
राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच